राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/24616-828 दिनांक: 16/04/2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–नगरीय निकायों द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु संचालित जागरूकता अभियान के अंतर्गत सम्मिलित गतिविधियों के विस्तार बाबत्।

संदर्भः–गृह विभाग, राजस्थान का आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 14.04.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के त्वरित प्रसार को देखते हुए गृह विभाग द्वारा दिनांक 16.04.2021 से 30.04.2021 तक की अवधि के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये है। नगरीय निकायों द्वारा नियमित संचालित जागरूकता अभियान का विस्तार करते हुए निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है:–

1. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में नियमित सोडियम हाइपोक्लोराईड अथवा अन्य सेनेटाईज़र से छिड़काव करते हुए सेनेटाईज़ किया जाना।
2. सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नवीनतम अपील (संलग्न) ''खतरनाक साबित हो रही है कोरोना की दूसरी वेव'' के पम्पलेट सफाईकर्मियों एवं अन्य संगठनों के सहयोग से घर–घर वितरित किया जाना।

कृपया नियमित संचालित गतिविधियों में उक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना में जिला प्रशासन का सहयोग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/24829-874 दिनांक:16/04/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त स्वायत्त शासन विभाग, समस्त को भेजकर लेख है नियमित निगरानी करे।
4. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

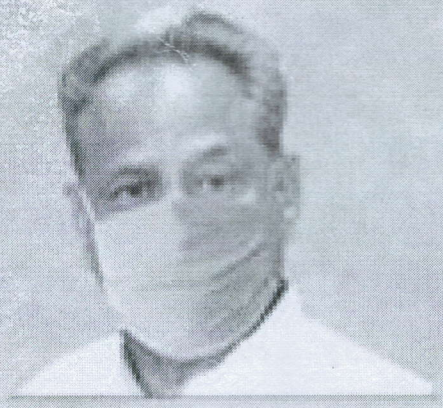

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

अपील

खतरनाक साबित हो रही है कोरोना की दूसरी वेव

प्रिय प्रदेशवासियों,

पूरी दुनिया, हमारा देश एवं प्रदेश कोरोना महामारी के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। इस वर्ष फरवरी एवं मार्च में कोरोना के मामलों में काफी कमी आने के कारण सभी यह मानने लगे कि शायद कोरोना जा रहा है। लेकिन अचानक कोरोना की नई लहर आई और इस महामारी ने आक्रामक रूप ले लिया है।

सभी विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे थे कि इतिहास में ज्यादातर महामारियों की दूसरी और तीसरी लहर भी आई है जो पहली लहर से कहीं ज्यादा घातक सिद्ध हुई एवं कोरोना भी इसका अपवाद नहीं होगा और विशेषज्ञों की यह बात सही साबित होती दिख रही है। आज देश और प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हालात यह है कि राजस्थान में अप्रैल माह के 15 दिनों में ही कोरोना के प्रतिदिन मामलों एवं प्रतिदिन मृत्यु की संख्या ने 2020 के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। बीते एक साल में एक दिन के अधिकतम आंकड़े की तुलना में अब लगभग दोगुने कोरोना के केसेज प्रतिदिन आने लगे हैं।

कोरोना से बचने के लिए बीते एक वर्ष में सरकार ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान तथा जन आन्दोलन चलाए। प्रचार की गति और भी बढ़ाई गई है। लेकिन प्रतीत होता है कि कोरोना के प्रति लोगों का डर बेहद कम हो गया है एवं उन्होंने सावधानियों का पालन भी करना बंद कर दिया है। देश के कुछ राज्यों में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वहां अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी हो गई एवं एम्बुलेंस की कतारें लग गईं। यहां तक कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए श्मशानों में स्थान कम पड़ रहा है एवं उनका खुले में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। यह हृदय विदारक एवं बेहद चिंताजनक है।

आमजन की जीवन रक्षा सरकार का सर्वोच्च कर्तव्य है। दूसरे प्रदेशों जैसी भयावह स्थिति राजस्थान में ना बने इस हेतु सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों की जान बचाई जा सके और आजीविका भी चलती रहे इसलिए अभी सम्पूर्ण लॉकडाउन ना कर पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सभी बाजार शाम 5 बजे बन्द किए जाएंगे। सभी शैक्षणिक संस्थानों यथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं लाइब्रेरी आदि को बन्द रखा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज जारी रह सकेंगी। विवाह समेत सभी निजी आयोजनों में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों की जगह घर पर पूजा, इबादत, अरदास, प्रेयर की जाएगी। 14 अप्रैल को गृह विभाग द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस की हर स्थान पर सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान आमजन, धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक संगठनों ने राजस्थान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। इस कारण हमारा कोविड प्रबंधन शानदार रहा एवं इसे देश में एक मॉडल के रूप में सराहा गया।

समय की मांग है कि एक बार पुनः सभी एकजुट होकर उसी संकल्प के साथ सभी सावधानियों और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। सरकार आमजन के साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहती है लेकिन गाइडलाइंस का उचित तरीके से पालन नहीं हुआ तो आमजन के हित में सख्त कदम उठाने के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमें यह एहसास है कि थोड़े समय के लिए नागरिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना है कि 'जान है तो जहान है'। आगामी दो-तीन हफ्ते हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। कुछ समय की सावधानी हमें किसी अप्रत्याशित पश्चाताप से बचा सकती है एवं थोड़ी सी लापरवाही अपनी एवं अपनों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री